# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 02/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

**बनाम**

1. संदीप जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन मैसर्स राजेन्द्र कुमार कुलदीप कुमार, सरेडी चौराहा, तहसील हुरडा
2. प्रितिपाल नन्दवानी पुत्र रूपसिंह नन्दवानी मैसर्स हरिओम सेल्स, काबरा गली बाजार नं. 2, भीलवाडा
3. मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी एस डी–4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर
4. पूरण प्रकाश जनवेजा पुत्र जस्सूराम जनवेजा मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, एस डी–4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर

– प्रार्थी

विपक्षी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51**

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री नारायण लाल चौधरी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

## आदेश

दिनांक 25.08.2025

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी संदीप जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन मैसर्स राजेन्द्र कुमार कुलदीप कुमार, सरेडी चौराहा, तहसील हुरडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को घी (ब्राण्ड अमृत) व अन्य सामान आदि का विकय कर रहा था। संदीप जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन मैसर्स राजेन्द्र कुमार कुलदीप कुमार, सरेडी चौराहा, तहसील हुरडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता फर्म पर 200 एमएल के 48 पैकेट्स घी (ब्राण्ड अमृत) विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेष करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया गया। दौराने बहस विभागीय पेरोकार एवं विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना घी (ब्राण्ड अमृत) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी (ब्राण्ड अमृत) में Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty Acid profile of ghee पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Foreign Fat Absent होना चाहिए था। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, जिस पर विपक्षी ने कोई खण्डन नही किया।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी उक्त घी में किसी प्रकार की कोई मिलावट नही करते हैं। पैक अवस्था में ही खरीदा गया हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26(4) परन्तुक अनुसार खाद्य विक्रेता के पास निर्माता द्वारा जो बिल दिया जाता हैं वही खाद्य पदार्थ की क्वालिटी की गारण्टी प्रदान करता हैं, ऐसे में खाद्य विक्रेता की कोई गलती नही होती हैं। खाद्य पदार्थ की जांच प्रमाणितशुदा लेब से करायी गयी है या नही, प्रकिया सही अपनायी गयी है या नही इस बारे में कोई प्रोपर दस्तावेज पत्रावली पर नही हैं। निवेदन हैं कि विपक्षी संख्या 02 होलसेलर हैं, जिसका उक्त खाद्य पदार्थ की अवमानक होने से कोई लेना देना नही हैं। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 को बरी किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला जयपुर से जाँच रिर्पोट सं. एलएस/569/एक्ट/2024/778 दिनांक 29.02.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, घी (ब्राण्ड अमृत) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी (ब्राण्ड अमृत) में Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty Acid profile of ghee पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Foreign Fat Absent होना चाहिए था। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षीगणों द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगणों सबस्टैण्डर्ड घी (ब्राण्ड अमृत) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड घी (ब्राण्ड अमृत) का विक्रय किया हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 पर 10,000/–रूपये, विपक्षी संख्या 02 पर 10,000/–रूपये, विपक्षी संख्या 03 पर 20,000/–रूपये, विपक्षी संख्या 04 पर 40,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उक्त शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा, चालान की प्रति इस कार्यालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–**

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 श्री संदीप जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन मैसर्स राजेन्द्र कुमार कुलदीप कुमार, सरेडी चौराहा, तहसील हुरडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3 प्रितिपाल नन्दवानी पुत्र रूपसिंह नन्दवानी मैसर्स हरिओम सेल्स, काबरा गली बाजार नं. 2, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

4 मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी एस डी–4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

5 पूरण प्रकाश जनवेजा पुत्र जस्सूराम जनवेजा मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, एस डी–4ए, कबीर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा